JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

नंदिनी (शोधार्थिनी)

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश, 282005

ईमेल- nandinidei97@gmail.com,

प्रो. लजवंत सिंह (प्रोफेसर)

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश, 282005

ईमेल- singh.lajwant90@gmail.com.

सारांश

किसी भी समाज के सदस्यों के स्वास्थ्य, संपत्ति और समृद्धि की बुनियाद उसका श्रम है। यही मानव जीवन की आर्थिक क्रियाओं का मूल प्रारम्भिक तत्व और पूंजी का जन्मदाता है। समाज की संपत्ति और प्रगति बहुत अंशों में उसके श्रमिकों की उन्नत स्थिति और कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो ऐसा कार्य करता है, जिसमें कठोर शारीरिक श्रम तथा कार्य निहित होता है। राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में निजी अनियमित क्षेत्र के सभी उद्यमों को शामिल किया गया है, जिनका स्वामित्व व्यक्तियों या परिवारों द्वारा किया जाता है। जिनमें से एक व्यक्ति स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर अधिकार रखता है और कम से कम 10 व्यक्ति कार्यरत होते हैं। इस क्षेत्र में ऐसे श्रमिक कार्य करते हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत, असंगठित श्रमिक शब्द को घर आधारित श्रमिक, स्व-रोजगार श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है। इन श्रमिकों को सरकार द्वारा बनाए गए कर्मचारी अधिनियमों का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। जिनमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम (1923), औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948), कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम (1952), मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम (1972) आदि शामिल हैं। वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई-श्रम नामक एक योजना बनाई है, जिसका शुभारंभ 26 अगस्त, 2021 को किया गया था। यह पोर्टल देश में असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने

में मदद करता है। यह पोर्टल 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने में लाभकारी हुआ है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना को चलाया गया है, जिसका उद्देश्य बढ़ती उम्र के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक देश में कुल कार्यबल का 93% हिस्सा हैं। इनमें से कुछ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त है, लेकिन ऐसे श्रमिकों का प्रतिशत बहुत कम है।

मुख्य बिन्दु

असंगठित श्रमिक, चुनौतियाँ, सरकार की भूमिका।

प्रस्तावना

किसी भी समाज के सदस्यों के स्वास्थ्य, संपत्ति और समृद्धि की बुनियाद उसका श्रम है। यही मानव जीवन की आर्थिक क्रियाओं का मूल प्रारंभिक तत्त्व और पूंजी का जन्मदाता है। इसीलिए अनेक बार पूंजी को पुंजीभूत या संचित श्रम कहा गया है। श्रम उत्पादन का एक सजीव साधन है। उसका संबंध मानव से है, अतः उसमें मानवीय सुख-दुख और नैतिक तत्त्वों का समावेश स्वाभाविक है। किसी भी समाज की संपत्ति और प्रगति बहुत अंशों में उसके श्रमिकों की उन्नत स्थिति और कार्यक्षमता पर ही निर्भर करती है। वर्तमान औद्योगिक समाज में जनसाधारण का जीवन स्तर औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करता है। गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक विकास के लिए उच्च स्तरीय और योग्य श्रम का होना आवश्यक होता है। इससे रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होती है। इस औद्योगिक विकास की प्रमुख शक्ति श्रम होती है। सामान्य अर्थ में यदि देखा जाए तो श्रम उत्पादन का एक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण साधन होता है। इस आधार पर कहा जाता है कि श्रम अधिक महत्वपूर्ण है (सिंह, 2009)। भारत में कुल कार्यबल का 90% असंगठित कामगार हैं। असंगठित कामगार की परिभाषा में हम घरों में कार्य करने वाले श्रमिक, ठेका श्रमिक, घर पर रहकर कार्य करने वाले श्रमिक, कृषि कामगार, बंटाईदार, सीमांत कृषक, बंधुआ मजदूर, दस्तकार तथा हाथ से मैला उठाने वाले आदि श्रमिकों को शामिल करते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के नियोजन में मौसमी और अनिश्चित रोजगार, अलग-अलग कार्यस्थल, नियोक्ता कर्मचारी संबंध का अभाव, खराब कार्य की स्थितियाँ तथा अनिश्चित और कम वेतन पर अतिरिक्त घंटे तक कार्य करने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को अपनी अलिखित स्थिति और संगठनात्मक सहायता के अभाव के कारण अत्यधिक सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

श्रम का अर्थ

अर्थशास्त्र में, श्रम शब्द का अर्थ है मैनुअल श्रम। इसमें मानसिक कार्य भी शामिल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि श्रम में कुछ मौद्रिक पुरस्कारों के लिये किये गए शारीरिक और मानसिक कार्य शामिल हैं। इस तरह कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, डॉक्टर, अधिवक्ता, अधिकारी और शिक्षक सभी की सेवाएं श्रम में शामिल हैं। अर्थशास्त्र में श्रम का अभिप्राय उस शारीरिक एवं मानसिक प्रयास से है, जो आर्थिक उद्देश्य से किया जाए। कोई भी कार्य चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक जिसके बदले में मौद्रिक पारिमज़दूरी मिले, श्रम कहलाता है (सिंह, 2009)। मार्शल के अनुसार, श्रम से

हमारा तात्पर्य मनुष्य के उस मानसिक और शारीरिक प्रयास से होता है, जो अंशतः तथा पूर्णतया कार्य से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले आनंद के अतिरिक्त किसी लाभ की दृष्टि से किया जाए (सिंह, 2009)।

श्रमिक अवधारणा

वह व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करता है, श्रमिक, मजदूर या कामगार कहलाता है। श्रमिक प्रायः कृषि कार्यों में, निर्माण कार्यों में (गृह निर्माण, सड़क निर्माण, पुल, रेल आदि का निर्माण) और कारखानों में काम करते हैं। श्रमिक के पास देने के लिए श्रम ही मुख्य वस्तु है। श्रमिक प्रायः दूसरे काम करने वालों के सहायक के रूप में काम करते हैं, जैसे सीमेंट या गारा देने वाला श्रमिक राजमिस्त्री के अधीन काम करता है। कॉलिन्स कोबिल्ड इंगलिश लैंगवेज़ डिक्शनरी के अनुसार, श्रमिक वह व्यक्ति है जो ऐसा कार्य करता है जिसमें कठोर शारीरिक श्रम तथा कार्य निहित होता है। विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े उद्योगों में श्रमिकों की भूमिका अपरिहार्य होती है (मिश्रा, 2014)। श्रमिकों में मुख्यतः स्व नियोजित मजदूर, भाड़े के मजदूर, नियमित मजदूर तथा अनियमित मजदूर आदि शामिल होते हैं।

असंगठित क्षेत्र का अर्थ

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा में ऐसे उद्यमों को शामिल करता जिनमें यदि पॉवर का प्रयोग न किया जाता हो, तो 20 से अधिक कर्मचारी काम न करते हो और यदि पावर का प्रयोग हो रहा हो, तो 10 कर्मचारियों से अधिक कर्मचारी काम न करते हों। इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक किसी कानून के अधीन जैसे- औद्योगिक विवाद कानून 1948 के अधीन पंजीकृत नहीं होते (दत्त एवं सुंदरम, 2016)। राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में निजी अनियमित क्षेत्र से सभी उद्यम शामिल किये जाते हैं, जिनका स्वामित्व व्यक्तियों या परिवारों में होता है और जो एक व्यक्ति स्वामित्व या साझेदारी आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और जिनमें 10 से कम व्यक्ति कार्यरत होते हैं (दत्त एवं सुंदरम, 2016)।

असंगठित श्रमिक की अवधारणा

राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, असंगठित श्रमिकों में वे सभी शामिल किए जाते है जो असंगठित उद्यमों या परिवारों में कार्य करते हैं। इनमें ऐसे श्रमिक शामिल नहीं किये जाते, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु नियोजकों द्वारा रोजगार अथवा सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखे जाते हैं (दत्त एवं सुंदरम, 2016)। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को घर में काम करने वाले कर्मी, स्वरोजगार में लगे लोग तथा असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत संगठित क्षेत्र के उन सभी श्रमिकों को शामिल किया जाता है जिन्हें अधिनियम की अनुसूची संख्या 2 में उल्लेखित अधिनियमों, कर्मकार प्रतीकार अधिनियम (1923), औद्योगिक विवाद अधिनियम (1948), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (1952), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961) तथा उपदान संदाय अधिनियम (1972) में से किसी एक अधिनियम का भी लाभ प्राप्त नहीं होता है (मिश्र तथा अन्य, 2014)।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का वर्गीकरण

मजदूरी प्राप्त श्रमिक

असंगठित क्षेत्र में मजदूरी प्राप्त करने वाले ऐसे श्रमिक होते हैं जिन्हें नियोजक प्रत्यक्ष रूप में या एजेंसियों अथवा ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार पर लगाते हैं। मजदूरी प्राप्त श्रमिकों में आकस्मिक या अस्थायी श्रमिक होते हैं या ऐसे श्रमिक होते हैं जिन्हें परिवार नौकरी पर लगाते हैं, जैसे- घरेलू श्रमिक (दत्त एवं सुंदरम, 2016)।

असंगठित क्षेत्र में स्व रोजगार प्राप्त

ये श्रमिक फार्म या गैर फार्म उद्यमों में कार्य करते हैं या किसी व्यवसाय में अपने खाते पर वैयक्तिक रूप में या साझेदार के साथ कार्य करते हैं या गृह आधारित श्रमिक होते हैं। स्व खाता श्रमिकों में परिवार के ऐसे श्रमिक भी होते हैं, जो बिना मजदूरी लिये काम करते हैं (दत्त एवं सुंदरम, 2016)।

असंगठित क्षेत्र का इतिहास

सामान्यता अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे-जैसे कृषि प्रणाली में परिवर्तन होता गया वैसे-वैसे विनिर्माण की प्रणाली में भी परिवर्तन हो गया। लंबे समय के बाद विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका विस्तार होने लगा। जो लोग खेतों में कार्य करते थे वे अब कारखानों में कार्य करने लगे। कारखानों में लोगों को कम वेतन मिलता था। उनके लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं था। 1970 के दशक के प्रारम्भ में अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि शहरी अर्थव्यवस्था में सभी काम के आधे के लगभग काम को अनौपचारिक क्षेत्र (असंगठित क्षेत्र) करता था। 20वीं शताब्दी के अंत तक यह संख्या बढ़कर लगभग 3/4 और 3/5 हो गई। अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यों को जॉन ब्रेमन ने परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसा कार्य जिसे कोई व्यक्ति स्वयं करता है जिससे आय पैदा होती है लेकिन वह किसी स्पष्ट रोजगार की संविधा से विनियमित नहीं होता और न ही उसे कोई संरक्षण प्राप्त होता है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो घरों में, लघु उद्यमों में, पावरलूम वर्कशॉप में कम करते हैं। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र का विकास कुछ ही दशकों की देन है। दी इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च (आई.एम.ए.आर.) इत्यादि जैसे अभिकरणों के माध्यम से विभिन्न शहरी बस्तियों में क्षेत्र के आकार और रोजगार के ढांचे का मूल्यांकन करने हेतु अस्सी के दशक के अंत में तथा नब्बे के दशक के प्रारम्भ में कई सर्वेक्षण किए गए। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा असंगठित क्षेत्र को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि कार्यबल का वह भाग जिसे सरकारी सहायता का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसे असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है (कुलश्रेष्ठ, 1998)।

भारत में असंगठित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

1980 के दशक में भारत कर सुधार आरंभ किए गए। प्रारम्भ में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम गहन विनिर्माण में निरंतर छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही साथ लाइसेंसिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर उद्योगों का विनियमन किया गया। इस प्रकार कई श्रम प्रधान उद्योगों का विकास हुआ जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में विस्तारित होते गए। वर्तमान में भारत में 90% श्रमिक असंगठित रूप से कार्य कर रहे हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान प्रदान कर रहे हैं। पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार 75% असंगठित श्रमिक स्व-नियोजित और आकस्मिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिनकी औसत आय नियमित वेतन भोगी श्रमिकों से बहुत कम है। भारत में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन (एनएसएसओ का 68वां दौर) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 47 करोड़ था। इसमें से संगठित क्षेत्र में रोजगार लगभग 8 करोड़ था तथा शेष 39 करोड़ असंगठित क्षेत्र में था। देश में कुल रोजगार में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का हिस्सा 90% से भी अधिक है क्योंकि उन्हें न तो सामाजिक सुरक्षा की किसी भी औपचारिक प्रणाली और न ही काम करने की दशाओं के विनियमों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। असंगठित क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाएं तथा बच्चे हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2011 में कार्य में महिलाओं की भागीदारी दर 25.63% थी जिनमें से 30% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 15.4% शहरी क्षेत्रों में थी (मिश्र तथा अन्य, 2014)।

भारतीय संविधान तथा असंगठित क्षेत्र

संविधान उन नियमों के समूह या संग्रह को कहा जाता है, जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन होता है। डायसी के अनुसार, संविधान उन क़ानूनों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के विवरण और प्रयोग को निश्चित करते है (मीना, 2022)। भारतीय संविधान में श्रम को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। केंद्र के लिए आरक्षित कुछ मामलों को छोडकर श्रम के संबंध में राज्य तथा केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती है।

संविधान के अंतर्गत श्रम की स्थिति

संघ सूची		समवर्ती सूची	
प्रविष्टि संख्या 55	श्रम विनिमय, खानों और तेल भंडारों में सुरक्षा	**प्रविष्टि संख्या 22**	ट्रेड यूनियन औद्योगिक और श्रम विवाद
प्रविष्टि संख्या 61	केन्द्रीय कर्मचारियों से संबन्धित औद्योगिक विवाद	**प्रविष्टि संख्या 23**	सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा
प्रविष्टि संख्या 65	व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु संघीय एजेंसियां और संस्थान पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण। विशेष अध्ययनों अथवा शोध को प्रोत्साहन। अपराधों की जांच तथा उसका पता लगाने की वैज्ञानिक तकनीकी सहायता।	**प्रविष्टि संख्या 24**	कम की दशाओं, भविष्य निधि, नियोक्ता के दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अविधिमान्यता और वृद्धा पेंशन, प्रसूति लाभ सहित श्रमिकों का कल्याण।

स्रोत- लोक सभा सचिवालय शोध एवं सूचना प्रभाव, (दिसम्बर, 2014)

सैद्धांतिक रूपरेखा

श्रम सिद्धान्त:- श्रम से संबन्धित सिद्धान्त में हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त इंगित करते हैं। मार्क्स ने सर्वहारा-वर्ग की स्पष्ट हितकामना तथा पूंजीवाद व्यवस्था के विनाश अवश्यंभाविता को प्रदर्शित करना तथा प्रमाणित करना सर्वप्रथम उद्देश्य बनाया था। उन्होनें पूंजीवाद के विकास और सामाजिक परिणामों की जो व्याख्या की है उसकी मुख्य बात उनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त है, इसे उन्होनें श्रम सिद्धान्त के आधार पर स्थिर किया था। मार्क्स का मानना था कि श्रम से मूल्य बनता है अर्थात मूल्य की उत्पत्ति श्रम से होती है। मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि पूंजीपति अपने धन के बल पर निर्धन श्रमिकों के श्रम को खरीदता है और उसे उत्पादन कार्यों में लगाता है। परंतु इस उत्पादन की क्रियाओं के द्वारा श्रमिक मूल्य को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में श्रमिक को मजदूरी के रूप में बहुत कम भाग मिलता है और अधिकतम भाग पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है। श्रमिकों को उनके वास्तविक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इस सिद्धान्त में एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो ने भी अपना मत प्रस्तुत किया है। एडम स्मिथ के अनुसार, किसी वस्तु का सामान्य मूल्य साधारणतया उसके उत्पादन में लगे श्रम को मालूम करके निर्धारित करना चाहिए। इसी तरह ही डेविड रिकार्डो के अनुसार, अधिकांश वस्तुओं का सामान्य विनिमय-मूल्य उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है।

श्रम विभाजन का सिद्धान्त:- इस सिद्धान्त का प्रतिपादन दुर्खीम ने किया है। इनके अनुसार सबसे प्राचीन समाजों में श्रम-विभाजन स्त्री-पुरुष के भेद पर आधारित था। पुरुष शिकार करने जाते थे और स्त्रियाँ घर का काम और बच्चों की देखभाल करती थीं। इस युग में आर्थिक जीवन में कोई विशेष श्रम-विभाजन की आवश्यकता का अनुभव नहीं था। सभी लोग साथ

काम किया करते थे। किसी भी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं था। इस प्रकार के समाज को उन्होनें यांत्रिक समाज की संज्ञा दी थी। और इस समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती थी। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे-वैसे आर्थिक जीवन में भी बदलाव होने लगे। वस्तुओं की मांगों में वृद्धि होने लगी। परिणामस्वरूप श्रम विभाजन की आवश्यकता महसूस होने लगी। दुर्खीम का मानना है कि श्रम विभाजन में सामाजिक एकता का रहस्य छिपा हुआ है। दुर्खीम ने कहा है कि श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है। श्रम विभाजन में व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विशिष्ट कार्यों में लगा सकता है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा तथा योग्यता के अनुसार कार्य करता है (दास, 2020)।

समस्या कथन

असंगठित क्षेत्र से हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से होता है जिसमें कार्य करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे श्रमिकों के पास भविष्य के लिए कोई भी साधन नहीं मिलता है। श्रमिकों को दिनभर कार्य करने के बाद भी उचित वेतन नहीं मिल पाता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों से अधिक समय तक कार्य कराया जाता है लेकिन उसका वेतन बहुत कम प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार द्वारा बनाए गए क़ानूनों का सही से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। इस प्रकार श्रमिकों को शारीरिक तथा मानसिक विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों को कार्य स्थल पर शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न तथा यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

साहित्य पुनर्रावलोकन

- **गुप्त (1958)** ने स्पष्ट किया है कि श्रम, उत्पादन का साधन है। जिसे मनुष्य रूपी श्रमिक करते हैं। इसमें लेखक ने बताया है कि भारत में श्रमिकों की स्थिति किस प्रकार की थी। प्राचीन काल में श्रमिक स्वयं कार्य किया करते थे। वर्तमान में श्रमिक का महत्व मशीनें लेती जा रही है। जिससे श्रमिकों को रोजगार पाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़े-बड़े उद्योगों में श्रमिकों का स्थान मशीनों ने ले लिया है। इन मशीनों के आगमन के कारण श्रमिकों को वेतन कम मिलता है तथा कभी-कभी कार्य भी नहीं मिलता है। श्रमिकों को ठेके के रूप में कार्य करना पड़ता है जिसमें ठेकेदार के पास जब काम की कमी होने लगती है तो वह श्रमिक को काम से निकाल देते हैं।
- **सिंह (2009)** ने श्रम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि श्रम से अभिप्राय उस शारीरिक व मानसिक प्रयास से होता है जो आर्थिक उद्देश्य से किया जाए। श्रम शब्द का अर्थ है मैनुअल श्रम। इसमें मानसिक कार्य भी शामिल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि श्रम में कुछ मौद्रिक पुरस्कारों के लिये किये गए शारीरिक और मानसिक कार्य शामिल हैं। इस तरह कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, डॉक्टर, अधिवक्ता, अधिकारी और शिक्षक सभी की सेवाएं श्रम में शामिल हैं। श्रम करके ही एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करता है। श्रम के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी आजीविका को सुचारु रूप से चला पता है।

- **दत्त और महाजन (2010)** ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का अध्ययन किया है। इसमें उन्होनें यह बताया है कि असंगठित क्षेत्र में निजी अनियमित क्षेत्र के सभी उद्यम शामिल किए जाते है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में वे सभी शामिल किए जाते है, जो असंगठित उद्यमों या परिवारों में कार्य करते हैं। असंगठित कामगार की परिभाषा में हम घरों में कार्य करने वाले श्रमिक, ठेका श्रमिक, घर पर रहकर कार्य करने वाले श्रमिक, कृषि कामगार, बंटाईदार, सीमांत कृषक, बंधुआ मजदूर, दस्तकार तथा हाथ से मैला उठाने वाले आदि श्रमिकों को शामिल करते हैं।
- **मिश्रा (2014)** ने श्रमिकों के संदर्भ में लिखा है कि श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करता है तथा श्रम के बदले वेतन प्राप्त करता है। श्रमिकों को हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं- संगठित श्रमिक और असंगठित श्रमिक। संगठित श्रमिकों में वे सभी श्रमिक शामिल किए जाते हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता है। असंगठित श्रमिकों में वे सभी श्रमिक शामिल किए जाते हैं जिन्हें न तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता है और न ही सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है।
- **दत्त और सुंदरम (2016)** ने असंगठित क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में निजी अनियमित क्षेत्र से सभी उद्यम शामिल किये जाते हैं, जिनका स्वामित्व व्यक्तियों या परिवारों में होता है और जो एक व्यक्ति स्वामित्व या साझेदारी आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और जिनमें 10 से कम व्यक्ति कार्यरत होते हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र की भी संज्ञा दी जाती है।

उद्देश्य

- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के जीवन में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के विकास हेतु सरकार की भूमिका का अध्ययन करना।

पद्धतिशास्त्र

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसमें कार्य कारण सम्बन्धों की व्याख्या की गई है।

असंगठित श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

श्रम शक्ति में किसी भी देश की वृद्धि एवं विकास को परिभाषित करने की क्षमता होती है। किसी भी आर्थिक गतिविधि में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रमिक कल्याण किसी भी देश के लिए नीति निर्माताओं के सामने अच्छा कामकाजी वातावरण तैयार करने एवं अपनी श्रम शक्ति का कल्याण तथा समृद्धि सुनिश्चित करने के मामले में बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। भारतीय श्रम बाजार संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में विभाजित है। संगठित श्रमिकों को छोटे अंश को कठोर क़ानूनों तथा नियमों का लाभ भी मिलता है, जिससे वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकता है। लेकिन

असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पडता है। कभी-कभी श्रमिकों को किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता है। इसलिए उन्हें परिवार को सुचारु रूप से चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। असंगठित श्रमिक नाममात्र के वेतन पर भी कार्य करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके लिए किसी भी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। न ही उनके रोजगार की कोई गारंटी होती है। इसमें वेतन नाममात्र का होता है, काम करने की स्थिति बहुत खराब होती है और रोजगार की अनिश्चिता होती है।

भारत में श्रमिकों की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)

क्षेत्र	कुल श्रमिक		मुख्य श्रमिक		सीमांत श्रमिक	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
ग्रामीण	226,837,013	121,906,079	178,095,330	67,773,091	48,741,683	54,132,988
नगरीय	105,102,862	28,042,914	95,114,646	21,582,504	99,88,216	64,60,410
कुल	331,939,875	149,948,993	273,209,976	89,355,595	58,729,899	60,593,398

स्रोत- http://censusindia.gov.in

उपर्युक्त सारणी से कुल श्रमिक, मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिकों की जनसंख्या को स्पष्ट किया गया है। नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की जनसंख्या अधिक है।

असंगठित श्रमिकों के जीवन में आने वाली चुनौतियाँ

असंगठित श्रमिकों के जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधायें उत्पन्न होती हैं। जिनसे श्रमिकों को शारीरिक तथा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं।

अशिक्षा:- अशिक्षा व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी बाधा के रूप में जानी जा सकती है। अशिक्षित व्यक्ति को किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति मूर्ख बना सकते हैं तथा उसका अनियमित फायदा भी उठा लेते हैं। शिक्षा के अभाव के कारण व्यक्ति अपनी प्रतिभा को बड़े स्तर पर प्रदर्शित नहीं कर पाता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति किसी भी स्थान पर जीवन यापन कर सकता है तथा वह अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी होता है। इसलिए अशिक्षा व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ी बाधा होती है।

भारत में साक्षरता दर (सन 1981-2011 तक)

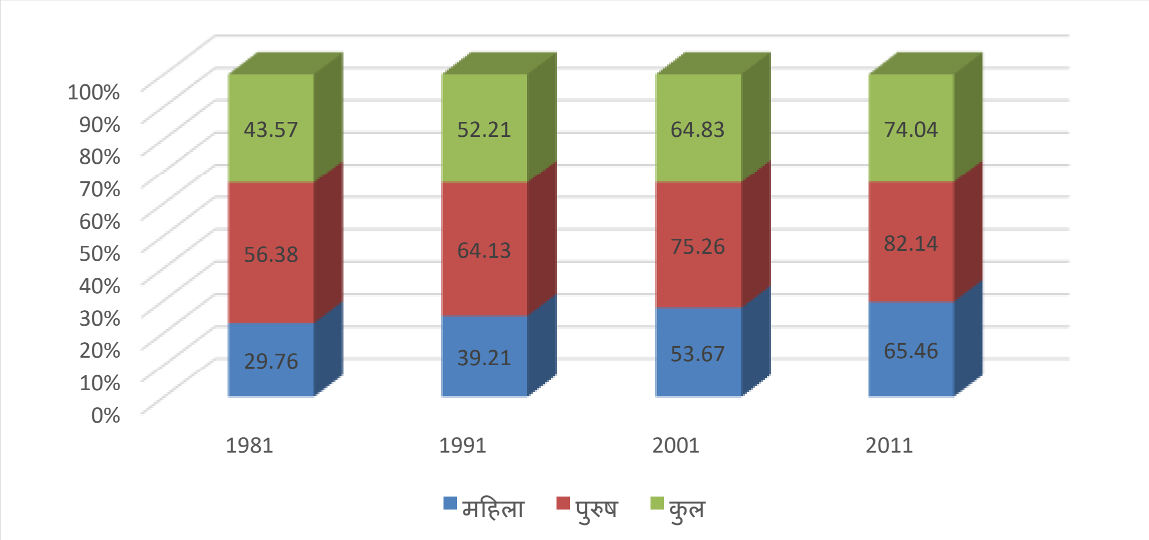

आवास:- आवास व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल होती है। इसके बिना व्यक्ति अपना जीवन यापन सुचारु रूप से नहीं कर पाता है। इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति की कार्यकुशलता पर पड़ता है। अधिकांशतः श्रमिकों को अपनी जन्म भूमि को छोडकर दूसरे स्थान पर कार्य करने के लिए मजबूरन हस्तांतरण करना होता है। हस्तांतरण के पश्चात श्रमिकों को दूसरे स्थान पर किराए के मकानों में रहना पड़ता है।

आय-व्यय:- व्यक्ति श्रम द्वारा जो भी आय प्राप्त करता है उसका मुख्य काम दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की आय निश्चित नहीं होती है। इसके कारण उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है। इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अतिरिक्त घंटे तक कार्य करके भी इन्हें नाममात्र का वेतन प्राप्त होता है।

श्रम कल्याण:- असंगठित श्रमिकों के लिए किसी भी प्रकार की श्रम कल्याण योजना का प्रावधान नहीं किया गया है। जिन योजनाओं का प्रावधान किया गया है उनका लाभ बहुत कम श्रमिकों तक पहुँच पाया है। कुछ क्षेत्र के लोग आज भी बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। श्रम कल्याण की समस्या श्रमिकों के लिए प्रमुख समस्या के रूप में देखी जा सकती है। श्रम कल्याण श्रमिकों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। जिससे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल पाता है।

महिलाओं से संबन्धित समस्याएँ:- महिलाओं से संबन्धित समस्याओं में आमतौर पर सुरक्षा की समस्या शामिल होती है। महिलाओं के साथ कार्य क्षेत्र में शारीरिक उत्पीड़न जैसी समस्या देखी जाती है। महिलाओं को कम वेतन भोगी के रूप में कार्य पर रखा जाता है। महिलाओं के काम का उन्हें बहुत कम वेतन प्राप्त होता है। असंगठित क्षेत्र कार्य करने वाली किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है। प्रसवकालीन अवस्था में भी उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होती है और न ही वेतन आधारित छुट्टी की व्यवस्था होती है।

विभिन्न वर्षों में महिला श्रमिकों का प्रतिशत

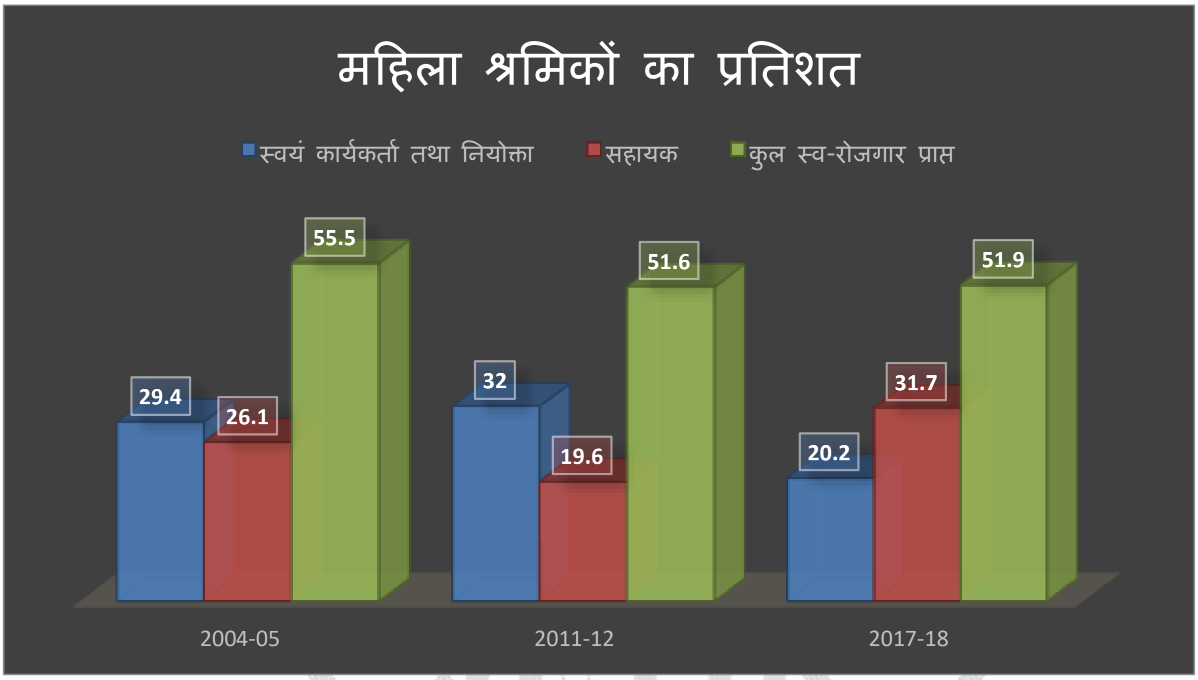

असंगठित श्रमिकों के लिए किए गए सरकारी प्रयास

सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रमिकों के सशक्तिकरण की जरूरत है। आजादी के 73 साल बाद भी लगभग 90 फीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। आज भी जिन्हें सभी सामाजिक सुविधा प्राप्त नहीं हैं। देश में श्रमिक वर्ग की संख्या संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में 50 करोड़ से अधिक है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जून 2002 में रिपोर्ट पेश की थी जिसमें यह सिफ़ारिश की गई थी कि भारत में विभिन्न श्रम कानून है और यह कहा गया कि संघीय क्षेत्र में विभिन्न क़ानूनों को समावेश करके श्रमिकों के हितों पर ध्यान दिया जाए लेकिन इसमें कोई खास सुधार नहीं किए गए। असंगठित कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने द्विपक्षीय रणनीति को अपनाया है। जिसमें विधायी उपाय तथा कल्याण योजनाओं के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शामिल है। श्रमिकों के हित के लिए कई कानून पारित किए गए।

श्रमिकों से संबन्धित कानून (अधिनियम)

क्रम संख्या	अधिनियम	सन	स्पष्टीकरण
1.	कारख़ाना अधिनियम	1948	सप्ताह में 48 घंटे काम, एक दिन में 9 घंटे काम।
2.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम	1948	श्रमिकों के वेतन से कटने वाला मासिक वेतन।
3.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	1948	राज्य द्वारा निर्धारित मजदूरी दर पर श्रमिकों से कार्य कराना।
4.	समान परिश्रमिक अधिनियम	1976	पुरुष तथा महिला को समान वेतन प्रदान करना।

5.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम	1923	श्रमिक के साथ दुर्घटना होने पर फैक्ट्री मालिक द्वारा मिलने वाली सहायता का अधिकार।
6.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम	1952	श्रमिकों के सेवानिवृत होने के पश्चात मिलने वाली धनराशि का अधिकार प्रदान करना।
7.	ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन) अधिनियम	1970	ठेका श्रमिकों के हितों से संबन्धित
8.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम	1961	महिलाओं के प्रसूति काल में मिलने वाली छुट्टी से संबन्धित
9	औद्योगिक विवाद अधिनियम	1947	श्रमिक तथा फैक्ट्री मालिकों के मध्य मधुर संबंध बनाना।
10.	बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम	1986	14 वर्ष से काम उम्र के बच्चों से काम कराना निषेध

वर्तमान में असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा असंगठित श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने के लिए सरकार ने ई-श्रम नामक एक पोर्टल को चलाया। इस पोर्टल के द्वारा देश भर के असंगठित श्रमिकों का एक डाटाबेस बनाने में मदद करता है। इस पोर्टल का निर्माण 26 अगस्त, 2021 को किया गया था। यह पोर्टल 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं के अंतिम छोर तक पहुँचने मे मदद करेगा। अब तक 290,832,696 ई-श्रम कार्ड बन चुके हैं। तथा असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो गया है। ई-श्रम में निर्माण कार्य में संलग्न मजदूर, प्रवासी मजदूर, गिग तथा प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले मजदूर, सड़क पर रखकर सामान बेचने वाले मजदूर, घरेलू मजदूर, कृषि कार्य में संलग्न मजदूर तथा बहुत से छोटे बड़े कार्यों में संलग्न मजदूरों को शामिल किया गया है। इन सभी की जानकारी सरकार को इस आधिकारिक वैबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों में वे श्रमिक शामिल किए जाते हैं जिन्हें कार्यक्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसमें उन सभी श्रमिकों को शामिल किया जाता है। जो सरकारी सहायता का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। इसमें वे श्रमिक आते हैं जिन्हें अधिनियम की अनुसूची संख्या 2 में उल्लेखित अधिनियमों, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (1923), औद्योगिक विवाद अधिनियम (1948), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (1952), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961) तथा उपदान संदाय अधिनियम (1972) में से किसी एक अधिनियम का भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में असंगठित श्रमिकों का नेशनल डाटा बेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल से पंजीकरण कराया गया है। जिससे श्रमिकों को सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त हो सके। कार्यस्थल पर श्रमिकों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण के साथ-साथ व्यावसायिक तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 13 श्रम क़ानूनों

को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति कोड में जोड़ दिया गया है। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे बाकी रेह गए हैं। जहां श्रमिकों को अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन श्रमिकों में वे श्रमिक शामिल होते हैं जो अशिक्षा का शिकार होते हैं। अशिक्षा के कारण इनकी मेहनत पर अन्य लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए व्यक्ति का शिक्षित होना सबसे महत्वपूर्ण है।

सुझाव

- श्रमिकों के हित के लिए सरकार को प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करना चाहिए जिससे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।
- श्रमिकों को स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए जिससे सरकार के द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को भली-भांति समझ सकें तथा उनका उपयोग कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- कुलश्रेष्ठ, आर. एस. (1999). औद्योगिक अर्थशास्त्र. साहित्य भवन. आगरा।
- ओझा, बी. एल. (2008). भारतीय अर्थशास्त्र. रमेश बुक डेपो. नई दिल्ली।
- सिंह, ए. पी. (2009). औद्योगिक समाजशास्त्र. यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन. दरियागंज. नई दिल्ली।
- दत्त, जी. और महाजन, ए. (2010). भारतीय अर्थशास्त्र. एस चंद एंड कंपनी. नई दिल्ली।
- मिश्रा, एम. के. (2014). सामाजिक समस्याएँ और उनके समाधान. न्यू कन्सेप्ट्स पब्लिशर्स. दिल्ली।
- रुद्रदत्त, के. पी. और सुंदरम, एम. (2016). भारतीय अर्थशास्त्र. एस. चंद एंड कंपनी लिमिटेड. रामनगर. नई दिल्ली।
- दास, एस. (2020). समाजशास्त्रीय सिद्धान्त. लक्ष्मी पब्लिकेशन. पंजाब।
- भारत की अर्थव्यवस्था तथा असंगठित क्षेत्रक की चुनौतियाँ. *ध्येय आई.ए.एस.* http://dhyeyaias.in/current-affairs/articles/indias-economy-and-challenges-of-the-unorganized-sector
- मिश्र तथा अन्य. (2014). असंगठित कामगार: मुद्दे और चुनौतियाँ. *लोक सभा सचिवालय शोध एवं सूचना प्रभाग. आईबी-13.* http://loksabhadocs.nic.in/refinput/research_notes//hindi/IB-UNORGA-hindi.pdf
- Singh, P. (2020). Working condition of unorganized workers in India. *International Journal of Advanced Research (IJAR). 8(3).* http://www.journalijar.com/article/32032/working-condition-of-unorganized-workers-in-india/
- नए भारत का नया लेबर कोड (श्रमिकों के लिए स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार). *सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय. भारत सरकार.* (2020). http://labour.gov.in/sites/default/files/labour_code_hindi.pdf